जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक–06.06.2026 को मॉडल विद्यालयों के संचालन हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाहीः–

दिनांक 06.06.2026 को जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में उप विकास आयुक्त, बक्सर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), BSEIDC के सहायक अभियंता एवं सभी मॉडल स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्र0प्र0 के साथ मॉडल विद्यालयों के संचालन, समन्वय एवं निगरानी हेतु जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई (DPMU) की बैठक आयोजित की गयी, जिसकी कार्यवाही निम्न प्रकार हैः–

उपस्थितिः–उपस्थिति पंजी में संधारित।

1. मॉडल विद्यालयों का चयन :–

जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के सात निश्चय–3 (2025–30) "उन्नत शिक्षा – उज्ज्वल भविष्य" के अंतर्गत जिले के सभी प्रखण्डों में एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तद्‌लोक में जिले के सभी 11 प्रखण्डों में प्रति प्रखंड एक मॉडल विद्यालय हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया है, जिनकी सूची निम्नवत् है :–

Sl.No.	Block	School	Status
1	BRAHMPUR	G B O High school Banshwar 10302005103	Approved By BEO
2	BUXAR	M.P.High School Buxar 10302100102	Approved By BEO
3	CHAKKI	Mssd high school chakki 10302302002	Approved By BEO
4	CHAUGAI	High school murar 10302400703	Approved By BEO
5	CHAUSA	UTKRAMIT MADHYAMIK VIDYALAYA SAGARA CHAUSA 10302502002	Approved By BEO
6	DUMRAON	Raj +2 high school dumraon 10301500826	Approved By BEO
7	ITARHI	S j k high school kaithna 10301604902	Approved By BEO
8	KESHAT	High School Kesath 10302201008	Approved By BEO
9	NAWANAGAR	+2 High School Nawanagar Buxar 10301703609	Approved By BEO
10	RAJPUR	High School Rajpur 10301800118	Approved By BEO
11	SIMRI	+2 High school Simri 10301902916	Approved By BEO

जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा अवगत कराया गया कि चौसा प्रखण्ड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, सगरा (चौसा) में NNMS के द्वारा एक भी चयनित बच्चों का नामांकन नही हुआ अर्थात शून्य है। इसके साथ–साथ प्रखण्ड मुख्यालय से सुदूर अर्थात 25–30 किलोमीटर दूर अवस्थित है जिसके कारण उक्त विद्यालय में नये शैक्षणिक सत्र 2026–27 से मॉडल स्कूल के संचालन में कठिनाई होगी।

उक्त परिपेक्ष्य में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चौसा के पत्रांक–442 दिनांक 05-06-2026 के द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय, सगरा (चौसा) के स्थान पर उच्च माध्यमिक विद्यालय, चुन्नी (चौसा) जो प्रखण्ड मुख्यालय से निकट (लगभग 7 कि0मी0) है, को मॉडल विद्यालय के रूप में चिन्हित कर संचालित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई (DPMU) द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **उच्च माध्यमिक विद्यालय, सगरा (चौसा) के स्थान पर उच्च माध्यमिक विद्यालय, चुन्नी, यू–डायस कोड–10302503107 (चौसा),** को मॉडल विद्यालय के रूप में चिन्हित किया जाए।

इस आशय की सूचना अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक– 842 दिनांक–11.05.2026 के आलोक में विभाग को आवश्यक कार्यार्थ उपलब्ध कराई जाए।

(अनुपालनः– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक)/जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर)

2. मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति एवं आधारमूत संरचनाओं की उपलब्धता :–

जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि जिले के सभी प्रखण्ड में एक–एक मॉडल विद्यालय स्थापित किया गया हैं, इन विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए राष्ट्रीय आय–सह–मेधा छात्रवृति योजना (*NMMS*) में सफल विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गई है। विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर इच्छुक शिक्षकों का साक्षात्कार के माध्यम से कुल 27 शिक्षकों का चयन कर विभिन्न प्रखण्डों के मॉडल विद्यालय में प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यालय आदेश ज्ञापांक – SSA/1070 दिनांक 04.06.2026 निर्गत किया गया है।

जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा सभी मॉडल विद्यालयों के प्रधानाध्यापको को निर्देश दिया गया कि विद्यालयों में आवश्यक शैक्षणिक एवं आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय, वहीं *BSEIDC* के सहायक अभियंता को सभी मॉडल स्कूलों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्माण, विद्यालय मरम्मति–कार्य, विद्यालय का रंग–रोगन तथा पर्याप्त मात्रा में बिजली लाईट, पंखा आदि की आवश्यक व्यवस्था पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालनः–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक)/जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर/ BSEIDC के कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक (तकनीकी)

3. मॉडल विद्यालय में नामाकन :–

जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि NMMS के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों एवं पोषक क्षेत्र अन्तर्गत वर्ग अष्टम् में उच्च प्राप्तांक के आधार पर तैयार मेधा सूची से चयनित विद्यार्थियों का ही मॉडल विद्यालयों में नामांकन किया जाना है। निदेश दिया गया कि विभागीय SOP के आलोक में सभी मॉडल विद्यालयों में शत्–प्रतिशत नामांकन कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः– सभी संबंधित प्रधानाध्यापक)

4. वर्ग कक्ष की व्यवस्था :–

जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय निदेशानुसार मॉडल विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापक को मॉडल विद्यालय की कक्षाएं विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ एवं उपयुक्त कमरो में संचालित किया जाना है। कक्षाओं को आकर्षक एवं शिक्षण कार्य हेतु अनुकूल बनाने, प्रत्येक कक्ष के द्वार पर कक्षा अंकित करने, ग्रीन–बोर्ड, दीवाल घड़ी, पंखा, बेंच–डेस्क आदि सुव्यवस्थित रूप से करने, वर्ग कक्ष में स्मार्ट टी.वी. की व्यवस्था करने, खिड़कियों में पर्दा लगाने, कक्ष के बाहर नोटिस बोर्ड एवं वर्ग नवम् के मॉडल सेक्सन में पोडियम से पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(अनुपालनः– संबंधित सभी प्र0अ0/नोडल पदाधिकारी)

5. शिक्षकों का प्रोफाइल :–

विभागीय निदेशानुसार मॉडल विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापक को विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों का विस्तृत प्रोफाइल जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता, विषय दक्षता, अनुभव, विशेष उपलब्धियां एवं संबंधित विषय में विद्यार्थियों की वार्षिक उपलब्धियाँ अंकित हो, तैयार कर विद्यालय में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।

(अनुपालनः–संबंधित सभी प्र0अ0)

6. स्मार्ट क्लास/विज्ञान प्रयोगशाला/पुस्तकालय/म्यूजिक कक्ष/ICT लैब :–

जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि मॉडल विद्यालय हेतु स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संगीत कक्ष, आई.सी.टी. लैब की प्रत्येक ईकाई हेतु प्रभारी शिक्षक नामित करने एवं संबंधित प्रभारी द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा अनुश्रवण करने हेतु अलग–अलग पंजी संधारित करने का निदेश दिया गया। इसके नियमित उपयोग हेतु विद्यालय स्तर पर कार्य–योजना बनाकर बच्चों के उपयोग में लाया जाए। प्रयोगशाला में रखे गये सामग्रियों से सभी विद्यार्थियों को अवगत कराते हुये विषयवार प्रयोगशाला की कक्षाएँ संचालित करने तथा सभी मॉडल विद्यालयों में इंटरनेट की व्यवस्था हेतु वाई–फाई अधिष्ठापित कराने का निदेश दिया गया।

संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को मुख्य द्वार पर ''मॉडल विद्यालय'' का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखवाने हेतु भी निर्देश दिया गया।

(अनुपालनः— संबंधित सभी प्र0अ0 / संबंधित सभी शिक्षक)

7. पेयजल एवं शौचालय की उपलब्धता :—

सभी मॉडल विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु RO की व्यवस्था सुनिश्चित कराने एवं जहाँ बोरिंग की आवश्यकता हो, उसकी सूचना शिक्षा विभाग (जिला कार्यालय / असैनिक संभाग) को उपलब्ध कराएं।

विद्यालय में उपलब्ध शौचालय (बालक एवं बालिका) को स्वच्छ एवं क्रियाशील रखने तथा सभी शौचालयों में पानी की आपूर्त्ति, प्रकाश एवं एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः— संबंधित सभी प्र0अ0 / नोडल पदाधिकारी)

08. खेल गतिविधियॉ :—

खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना के अनुसार खेल प्रतियोगिता कराने, विद्यालय में स्पोर्टस कॉर्नर विकसित करते हुए सभी खेल सामग्रियों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः— संबंधित सभी प्र0अ0 / नोडल पदाधिकारी)

09. पाठ योजना / पाठ टीका एवं अनुश्रवण :—

मॉडल विद्यालय के सभी शिक्षकों को पाठ योजना के साथ कक्षाओं का संचालन करने, प्रधानाध्यापक को नियमित रूप से कक्षा अनुश्रवण कर उसका प्रतिवेदन संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः— संबंधित सभी प्र0अ0 / सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी)

10. मॉडल विद्यालय हेतु अनुकूल परिवेश :—

मॉडल विद्यालय के 200 मीटर की परिधि में कोई भी मादक पदार्थ का दुकान आदि प्रतिबंधित रहेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक) को निदेश दिया गया कि स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही यदि किसी मॉडल विद्यालय का भवन / भूमि अतिक्रमण किया गया है, तो संबंधित प्रधानाध्यापक इसकी सूचना नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, ताकि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके।

(अनुपालनः— संबंधित सभी प्र0अ0 / नोडल पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक)

11. वृक्षारोपण एवं हरियाली :—

सभी मॉडल विद्यालयों में हरियाली हेतु वृक्षारोपण एवं बागवानी कराने का निदेश दिया गया। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सभी मॉडल विद्यालयों में वृक्षारोपण एवं बागवानी कराकर परिसर को हरा–भरा रखा जाय।

(अनुपालनः— संबंधित सभी प्र0अ0 / नोडल पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक)

12. विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक :—

विद्यालय का समुचित संचालन, निगरानी एवं विकास के लिए विद्यालय प्रबंध समिति का गठन होना अनिवार्य है। समिति का मुख्य कार्य निगरानी, प्रबंधन, वित्तीय पारदर्शिता, छात्र नामांकन एवं नियमित उपस्थिति हेतु आवश्यक उपाय करना है।

इस हेतू आवश्यक है कि समिति की बैठक नियमित अंतराल (मासिक/त्रैमासिक) पर हो।

सभी प्रधानाध्यापकों को निदेश दिया गया संबंधित माननीय जनप्रतिनिधी (विधायक/सांसद) से सम्पर्क स्थापित कर वैसे विद्यालय जहाँ अब तक प्रबंध समिति का गठन नहीं है, वहाँ प्रबंध समिति का गठन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः— संबंधित सभी प्र0अ0/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बक्सर)

❖ प्रधानाध्यापक, एम0पी0उच्च विद्यालय बक्सर द्वारा बताया गया कि विद्यालय के तीन कमरों में पुलिस आवासन है, शैक्षणिक गतिविधियों के सफल संचालन हेतु कमरों की नितांत आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि पुनः पुलिस अधीक्षक, बक्सर से कमरों को पुलिस आवासन से मुक्त करने हेतु अनुरोध करेंगे।

(अनुपालनः—जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर)

❖ विभिन्न प्रधानाध्यापकों द्वारा बताया गया कि विद्यालय में कई शिक्षकों का एक साथ BA Part-I, II, III एवं अन्य परीक्षा में वीक्षण कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से कर दी जाती है जिससे पठन—पाठन बाधित हो जाता है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को निदेश दिया जाता है कि उक्त परीक्षा में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर की सहमति प्राप्त करेंगे।

(अनुपालनः—जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव)

❖ जिला परिषद्, बक्सर के संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि जिन विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, चाहरदीवारी की उपलब्धता नहीं है, उन विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराते हुए उसे अपने स्तर से आधारभूत संरचना का निर्माण एवं मरम्मति कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः—उप विकास आयुक्त, बक्सर)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

09/06/26

कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) बक्सर

09/06/26

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक), बक्सर

9/6/26

जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर

Niharika 09/06/26

उप विकास आयुक्त, बक्सर

9/6/26

जिला पदाधिकारी, बक्सर

ज्ञापांक— ....1092/ बक्सर, दिनांक 09.06.2026

प्रतिलिपिः—सभी मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी—सह—नोडल पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक असैनिक (तकनीकी) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

9/6/26

जिला पदाधिकारी, बक्सर।